

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
मेरठ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 24 दिसम्बर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में चतुर्थ किशत की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-33/2023/RF-159/001-Comp.No.1698006, दिनांक-26.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगर निगम, मेरठ के नवीन कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर निगम, मेरठ को ₹० 4686.62 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष प्रथम किशत की धनराशि ₹० 1171.65 लाख, शासनादेश संख्या-235/2024/आर०एफ०-740/नौ-9-2024/001-E-1698006, दिनांक-12.11.2024 द्वारा द्वितीय किशत की धनराशि ₹० 1640.317 लाख एवं शासनादेश संख्या-119/2025/आर०एफ०-379/नौ-9-2025/002-E-1698006, दिनांक-30.03.2025 द्वारा तृतीय किशत की धनराशि ₹० 624.77 लाख अर्थात् 03 किशतों में कुल धनराशि ₹० 3436.74 लाख निर्गत की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ के पत्र संख्या-1266/SNV-SSCM-NNMEE-2025-26, दिनांक-04.12.2025 द्वारा अवशेष धनराशि अयमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ की उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, मेरठ के नवीन कार्यालय के निर्माण कार्य हेतु कुल लागत धनराशि ₹० 4686.62 लाख के सापेक्ष 05 प्रतिशत धनराशि ₹० 234.331 लाख को रोकते हुये चतुर्थ किशत के रूप में धनराशि ₹० 1015.552 लाख (रूपये दस करोड़ पंद्रह लाख पचपन हजार दो सौ मात्र) अनुदान संख्या-37, पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अयमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37, के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02मल जल तथा सफाई-191- नगर निगम निकायों को सहायता-05-पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।
- (2) संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।
- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31 मार्च, 2026 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाणपत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (4) निकाय प्रथमगत परियोजनाएं पूर्ण कर उनका पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त कार्य को जनपयोगी बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(5) शासनादेश संख्या-33/2023/RF-159/001-Comp. No. 1698006, दिनांक-26.03.2023 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(6) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि नगर आयुक्त प्रथम/द्वितीय/तृतीय किशत की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेंगे, तदोपरान्त चतुर्थ किशत की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।

(7) नगर निगम, मेरठ द्वारा उक्त कार्यालय भवन का थर्ड पार्टी या किसी स्वतन्त्र संस्था से इंजीनियरिंग के एसपेक्ट पर विशेष ध्यान देते हुए एसेसमेन्ट कराया जायेगा। प्रत्येक निरीक्षण कार्य करने के उपरान्त नगर निगम को स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें की गयी संवीक्षाओं का समाधान कार्यदायी संस्था/नगर निगम, मेरठ द्वारा किया जाएगा।

(8) स्वीकृत की जा रही चतुर्थ किशत की धनराशि से शासनादेश संख्या-864/नौ-9-20-एल0सी0/19, दिनांक- 19 जून, 2020 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय ₹0 1015.552 लाख (रूपये दस करोड़ पंद्रह लाख पचपन हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021910500 पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 24-12-2025
16:10:25 (संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 273 /आर0एफ0-2229/नौ-9-2025/001-ई-1698006, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, 30प्र0, प्रयागराज।
2. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, मेरठ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, सी0एण्ड0डी0एस0, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
8. कोषाधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, 30प्र0 शासन।
10. स्टेट पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल/वेब मोस्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-24/12/2025

प्रेषण संख्या:- 273
आवंटन आदेश संख्या:- 001-273-2025-RF-2229-9-9-2025-001-E-1698006
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
191 - नगर निगमों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	मेरठ-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान	101555200	101555200
		प्रगामी	101555200	101555200
	योग	वर्तमान	101555200	101555200
		प्रगामी	101555200	101555200

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस करोड़ पन्द्रह लाख पचपन हजार दो सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़ पन्द्रह लाख पचपन हजार दो सौ


(कल्याण बनर्जी)
विशेष सचिव